


This drawing is a "COPYRIGHT" of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect.



**PROJECT**  
**COMPOUNDING & PROPOSED GROUP HOUSING-3 AT KHASRA NO 153(P), 154(P), 158(P), 159, 1609P, 157(G.S) IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)**

पत्र सं. ४-२०५०/१६-१५  
 दिनांक 11-10-2017 की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित किया गया।  
 (आचार्य कुमार यादव)  
 अभियंता (सिविल)  
 लखनऊ  
 मुख्य अभियंता प्रधिकारी  
 लखनऊ



**24.0 M WIDE ROAD**

**24.0 M WIDE ROAD**

**24.0 M WIDE ROAD**

**OTHERS LAND**


- | क्र. | विवरण  |
|------|--|
| 1    | यू-जमानिल तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वत्वित्व व कब्जा विकासकर्ता अथवा के नाम है। खुदबूख के बिना खतरा नामक का स्वत्वित्व प्राप्त समा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वसन/अधिग्रहण/भूमि ह्रास की कार्रवाई विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये। |
| 2    | शासनादेश के अनुसार स्वत्व पर भूकम विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।  |
| 3    | लेव्ड स्कीमिंग प्लान व सर्वेसैज प्लान के अनुसार स्वत्व पर नौ विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।   |
| 4    | मुख्य आगि समन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।  |
| 5    | पूर्वता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।   |
| 6    | रेनवाटर ड्राइविंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्वत्व पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।  |
| 7    | अपार्टमेंट एक्ट-2010, लेबर एक्ट का अनुपालन एवं निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस निवामनुसार जमा करना होगा।  |
| 8    | स्वत्व पर कार्पोरेट रूप से विकसित व्यक्तिवो हेतु रेमप का निर्माण एवं बाधाहिन सुविधाओं का विकास करना होगा।  |
| 9    | स्वत्व पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचनापत्र लगाना होगा।  |
| 10   | यदि कोई देनदारी विकसली है तो प्राधिकरण द्वारा मोंगे जाने पर अतिरिक्त जमा करना होगा।  |
| 11   | यदि नक्शिय में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।  |
| 12   | मैकेगाइड्य धर्मिण हेतु पूर्व स्वीकृत मानचित्र के सम्य प्रस्तुत बैंक गारण्टी की अथवा निरस्त सम्यवर्ती अनवरत प्रदत्ता कर संशोधित बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी।  |
| 13   | यदि नक्शिय में उक्त प्रदत्त नगर क्षेत्र की विकास अधिनियम 2031 की धारा 15 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है कि विकास प्रक्रिया पूरी विकसित कर देना विकास काव नहीं है।  |



**DRAWING TITLE**  
 SUBMISSION DRAWING  
 (LANDSCAPE PLAN)  
**ARCHITECT**  
**SCALE** 1:250  
**DATE** SEP-2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2031 तथा भवन उपविधि 2011 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।  
**CLIENT/ OWNERS**  
**OMAXE**  
 OMAXE LTD  
 CYBER TOWER, IIND  
 FLOOR, TC-34/W2  
 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
 LUCKNOW-226001  
 CALL-(0522)-4913000,4000173

| CALCULATION FOR GREEN |          |              |                    |
|-----------------------|----------|--------------|--------------------|
| GREEN                 | NOS.     | AREA (SQ. M) | TOTAL AREA (SQ. M) |
| GREEN-1               | 1        | 1954.06      | 1954.06            |
| GREEN-2               | 1        | 701.29       | 701.29             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1</b> |              | <b>2655.35</b>     |



**RAIN WATER HARVESTING**